लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण

विषयः— **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् ग्राम–चंगोरी एवं कर्रा कलस्टर लाईम स्टोन माईन, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा (छ.ग.) में स्थित कुल 04 चूना पत्थर खदानों (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु संयुक्त लोक सुनवाई क्रमशः मेसर्स चंगोरी लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री आदित्य भगत), ग्राम–चंगोरी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा, खसरा क्रमांक 25/24, लीज एरिया–1.374 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–15,435 टन प्रतिवर्ष, मेसर्स कर्रा लाईम स्टोन माईन प्रोजेक्ट (प्रो.–श्रीमती कांति गुप्ता), ग्राम–कर्रा, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा, खसरा क्रमांक 679/1, लीज एरिया–1.0 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–10,217.25 टन प्रतिवर्ष, मेसर्स कर्रा लाईम स्टोन माईन प्रोजेक्ट (प्रो.–श्री द्वितेन्द्र कुमार मिश्रा), ग्राम–कर्रा, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा, खसरा क्रमांक 532 एवं 534, लीज एरिया–1.0 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–11,875 टन प्रतिवर्ष, मेसर्स चंगोरी लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता), ग्राम–चंगोरी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा, खसरा क्रमांक 25/36 एवं 25/93, लीज एरिया–1.234 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–5076.56 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु तारीख 29/07/2022 को स्थान– ग्रामपंचायत कार्यालय परिसर, ग्राम कर्रा, तह.–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–**

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् ग्राम–चंगोरी एवं कर्रा कलस्टर लाईम स्टोन माईन, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा (छ.ग.) में स्थित कुल 04 चूना पत्थर खदानों (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु संयुक्त लोक सुनवाई क्रमशः मेसर्स चंगोरी लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री आदित्य भगत), ग्राम–चंगोरी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा, खसरा क्रमांक 25/24, लीज एरिया– 1.374 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–15,435 टन प्रतिवर्ष, मेसर्स कर्रा लाईम स्टोन माईन प्रोजेक्ट (प्रो.–श्रीमती कांति गुप्ता), ग्राम–कर्रा, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा, खसरा क्रमांक 679/1, लीज एरिया–1.0 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–10,217.25 टन प्रतिवर्ष, मेसर्स कर्रा लाईम स्टोन माईन प्रोजेक्ट (प्रो.–श्री द्वितेन्द्र कुमार मिश्रा), ग्राम–कर्रा, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा, खसरा क्रमांक 532 एवं 534, लीज एरिया–1.0 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–11,875 टन प्रतिवर्ष, मेसर्स चंगोरी लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता), ग्राम–चंगोरी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा, खसरा क्रमांक 25/36 एवं 25/93, लीज एरिया–1.234 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–5076.56 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बावत् लोक सुनवाई अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई। लोक सुनवाई के दौरान

क्रमशः–02–

श्री प्रकाश कुमार रबड़े, क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर, श्री बिजेन्द्र सिंह सारथी, तहसीलदार धौरपुर–लुण्ड्रा, श्री संजय राठौर, नायब तहसीलदार, धौरपुर–लुण्ड्रा, श्री द्वितेन्द्र मिश्रा, परियोजना प्रस्तावक, श्री बुद्धदेव पाण्डेय एवं श्री जगबंधु बिसनोई, परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार/प्रतिनिधि, ग्राम पंचयायत सरपंच, जन प्रतिनिधि तथा आसपास के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में तारीख 29/07/2022 को समय– पूर्वान्हः 11:55 बजे, स्थान– ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर, ग्राम कर्रा, तह.–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा (छ.ग.) में लोक सुनवाई प्रारम्भ हुई। लोक सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों यथा लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मास्क का उपयोग तथा सेनेटाईजर का उपयोग किया गया। प्रवेश द्वार पर मेडिकल दल द्वारा आवश्यक जांच कर जांच पंजी संधारित की गई एवं कोविड–19 के रोकथाम हेतु वेक्सिनेशन की कार्यवाही भी की गई एवं जांचोपरान्त आगन्तुको को लोक सुनवाई स्थल में प्रवेश दिया गया तथा लोक सुनवाई आरंभ की गई। लोक सुनवाई प्रारंभ के समय लगभग 50 जनसामान्य उपस्थित हुए तथा लोक सुनवाई के दौरान लगभग 100 जनसामान्य उपस्थित रहे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई प्रारंभ के साथ ही उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई।

2. सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अंबिकापुर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से लोक सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मास्क का उपयोग व समय–समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करने बावत् अनुरोध किया गया। साथ ही ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के प्रावधानों के तहत् आवेदक द्वारा किये गये आवेदन, परियोजना से संबंधित रखे गये ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, समरी तथा लोक सुनवाई की जनसूचना प्रकाशन की जानकारी के संबंध में अवगत कराया गया कि ग्राम–चंगोरी एवं कर्रा कलस्टर लाईम स्टोन माईन, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा (छ.ग.) में स्थित कुल 04 चूना पत्थर खदानों (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु संयुक्त लोक सुनवाई क्रमशः मेसर्स चंगोरी लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री आदित्य भगत), ग्राम–चंगोरी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा, खसरा क्रमांक 25/24, लीज एरिया– 1.374 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–15,435 टन प्रतिवर्ष, मेसर्स कर्रा लाईम स्टोन माईन प्रोजेक्ट (प्रो.–श्रीमती कांति गुप्ता), ग्राम–कर्रा, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा, खसरा क्रमांक 679/1, लीज एरिया–1.0 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–10,217.25 टन प्रतिवर्ष, मेसर्स कर्रा लाईम स्टोन माईन प्रोजेक्ट (प्रो.–श्री द्वितेन्द्र कुमार मिश्रा), ग्राम–कर्रा, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा, खसरा क्रमांक 532 एवं 534, लीज एरिया–1.0 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–11,875 टन प्रतिवर्ष, मेसर्स चंगोरी लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता), ग्राम–चंगोरी, तहसील–लुण्ड्रा,जिला–सरगुजा,

क्रमशः–03–

खसरा क्रमांक 25/36 एवं 25/93, लीज एरिया—1.234 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता—5076.56 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति, छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावास भवन सेक्टर—19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर (छ.ग.) द्वारा टी. ओ. आर. जारी क्रमशः दिनांक 11/06/2021, 28/06/2021, 28/09/2021 एवं 11/06/2021 के परिपालन में उद्योग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई कराने के सम्बंध में मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर मे उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मुख्यालय में प्राप्ति दिनांक 01/06/2022 के परिपेक्ष्य में मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 08/06/2022 के माध्यम से खदानों की लोकसुनवाई कराने हेतु निर्देश दिये गये। कार्यालय कलेक्टर, अंबिकापुर, जिला—सरगुजा के पत्र दिनांक 24/06/2022 के द्वारा खदानों की लोकसुनवाई की तारीख 29/07/2022 को स्थान— ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर, ग्राम कर्रा, तह.—लुण्ड्रा, जिला—सरगुजा (छ.ग.) में नियत की गई। परियोजना की ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार की हिन्दी व अंग्रेजी भाषा की प्रतियां तथा सीडी सहित अवलोकनार्थ डॉयरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, साईंटिस्ट 'डी', एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर—19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर, कार्यालय कलेक्टर, अंबिकापुर, जिला—सरगुजा, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अंबिकापुर, जिला—सरगुजा, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला—सरगुजा (छ.ग.), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, लुण्ड्रा, जिला—सरगुजा, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अंबिकापुर, जिला—सरगुजा, उपसंचालक/खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), अंबिकापुर, जिला—सरगुजा, सरपंच/सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत— कर्रा एवं चंगोरी, तह.—लुण्ड्रा, जिला—सरगुजा (छ.ग.), सदस्य सचिव, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर—19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर (छ.ग.) एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कन्या परिसर रोड, शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास, नमनाकला गंगापुर, तह.—अंबिकापुर, जिला—सरगुजा (छ.ग.) में रखी गई थी। लोक सुनवाई सूचना का प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपालन में दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपालन में दिनांक 26/06/2022 को मुख्य राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र 'पंजाब केसरी' के दिल्ली संस्करण एवं एक क्षेत्रीय समाचार पत्र 'हरिभूमि' के बिलासपुर संस्करण में परियोजना के संबंध में सुझाव/विचार/टीका—टिप्पणी एवं आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस का समय

क्रमशः—04—

देते हुए ''सर्व संबंधितों को सूचना'' का प्रकाशन कराया गया। जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायतों को भी प्रेषित की गई।

3. अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन सामान्य के समक्ष परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया गया।

4. श्री द्वितेन्द्र कुमार मिश्रा (प्रोपराईटर), मेसर्स कर्रा लाईम प्रोजेक्ट, ग्राम—कर्रा, तहसील—लुण्ड्रा, जिला—सरगुजा (छ.ग.) लोक सुनवाई की पर्यावरणीय प्रक्रिया की जानकारी हेतु परियोजना प्रस्तावकों की ओर से श्री श्री जगबंधु बिसनोई तथा श्री बुद्धदेव पाण्डेय को परियोजना की जानकारी देने हेतु अधिकृत करते हैं। परियोजना के संबंध में श्री बुद्धदेव पाण्डेय द्वारा निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई :—

मैं **बुद्धदेव पाण्डेय, परियोजना के पर्यावरण सलाहकार/प्रतिनिधि** :— ग्राम—चंगोरी एवं कर्रा कलस्टर लाईम स्टोन माईन, तहसील—लुण्ड्रा, जिला—सरगुजा (छ.ग.) में स्थित कुल 04 चूना पत्थर खदानों (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु संयुक्त लोक सुनवाई क्रमशः मेसर्स चंगोरी लाईम स्टोन माईन (प्रो.—श्री आदित्य भगत), ग्राम—चंगोरी, तहसील—लुण्ड्रा, जिला—सरगुजा, खसरा क्रमांक 25/24, लीज एरिया—1.374 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता—15,435 टन प्रतिवर्ष, मेसर्स कर्रा लाईम स्टोन माईन प्रोजेक्ट (प्रो.—श्रीमती कांति गुप्ता), ग्राम—कर्रा, तहसील—लुण्ड्रा, जिला—सरगुजा, खसरा क्रमांक 679/1, लीज एरिया—1.0 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता—10,217.25 टन प्रतिवर्ष, मेसर्स कर्रा लाईम स्टोन माईन प्रोजेक्ट (प्रो.—श्री द्वितेन्द्र कुमार मिश्रा), ग्राम—कर्रा, तहसील—लुण्ड्रा, जिला—सरगुजा, खसरा क्रमांक 532 एवं 534, लीज एरिया—1.0 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता—11,875 टन प्रतिवर्ष, मेसर्स चंगोरी लाईम स्टोन माईन (प्रो.—श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता), ग्राम—चंगोरी, तहसील—लुण्ड्रा, जिला—सरगुजा, खसरा क्रमांक 25/36 एवं 25/93, लीज एरिया—1.234 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता—5076.56 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् लोक सुनवाई का आयोजन किया गया जा रहा है। इस खदान के आसपास का माईनिंग कुल कलस्टर क्षेत्र 28.875 हेक्टेयर है। 14 सितम्बर 2006 के ईआईए नोटिफिकेशन और इसके अधीन किए गए संशोधनों के अनुसार 05 हेक्टेयर से अधिक कलस्टर लीज क्षेत्र बी—1 श्रेणी में आता है, जिसके अंतर्गत आज आयोजित जनसुनवाई का कार्यक्रम पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया का आवश्यक भाग है। परिपालन में दिनांक 26/06/2022 को मुख्य राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र 'पंजाब केसरी' के दिल्ली संस्करण एवं एक क्षेत्रीय समाचार पत्र 'हरिभूमि' के बिलासपुर संस्करण में जन सूचना प्रकाशित कराई गई। प्रस्तावित परियोजना के आधार आशय पत्र श्री आदित्य भगत, दिनांक 15.06.2021, श्री द्वितेन्द्र कुमार मिश्रा, दिनांक 05.01.2021, श्रीमती कांति गुप्ता, दिनांक 22.02.2021 एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, दिनांक 13.11.2020 जारी किया गया है। प्रस्तावित

क्रमशः—05—

लीज की अवधि 30 वर्ष है। जिसके लिए ग्राम पंचायत चंगोरी द्वारा क्रमशः दिनांक 06.03.2020, 08.03.2020, 08.03.2020 एवं 06.03.2020 तथा वन विभाग द्वारा क्रमशः दिनांक 07.09.2020, 20.06.2019, 16.07.2018 एवं 22.10.2020 को अनापत्ति दी गई। इस माईनिंग प्लान का अनुमोदन क्रमशः दिनांक 28.07.2020, 18.01.2021, 31.05.2021 एवं 08.03.2020, 23.12.2020 को किया गया। भूमि का प्रकार—गैर—वन निजी भूमि, परियोजना की कुल लागत क्रमशः रूपये 12.51 लाख, रूपये 13.56 लाख, रूपये 35.00 लाख तथा रूपये 17.22 लाख कुल रूपये 78.29 लाख है। अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार खदान की संक्षिप्त जानकारी आवेदित क्षेत्र से संवेदनशील संरचनाओं की दूरी मानकों से अधिक है। खदान के रिजर्वस का विवरण जियोलॉजिकल रिजर्व— श्री आदित्य भगत 1,71,750.00 घनमीटर, श्री द्वितेन्द्र कुमार मिश्रा 1,37,500.00 घनमीटर, श्रीमती कांति गुप्ता 2,75,000.00 घनमीटर एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता 1,69,675.00 घनमीटर है। प्रस्तावित वर्षवार (प्रथम वर्ष से दशम वर्ष तक) कुल उत्पादन— श्री आदित्य भगत 1,07,565.00 टन, श्री द्वितेन्द्र कुमार मिश्रा 56,678.20 टन, श्रीमती कांति गुप्ता 93,931.30 टन एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता 50,142.20 टन है। आवेदित खदानों के लिए संयुक्त आवश्यकताएं—जल 19.33 किली. प्रतिदिन, स्त्रोत—आवश्यकतानुसार नियमानुसार बोरवेल से जल की आपूर्ति की जायेगी एवं पानी निकट ग्राम से भी लिया जायेगा। जनशक्ति की आवश्यकता—33 व्यक्ति—छत्तीसगढ़ शासन की रोजगार नीति के अनुसार एवं योग्यता तथा अनुभव के आधार पर स्थानीय ग्रामीणों को परियोजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जायेगा। खनन मशीनें एवं उपकरण— खुदाई/लोडर, डम्पर/टिपर, ट्रैक्टर, स्प्रिंकलर के साथ पानी का टैंकर, पानी पंप, रॉक ब्रेकर, कंप्रेसर, जैक हथौड़ा है कुल मशीनों एवं उपकरणों की संख्या चारों खदानों को मिलाकर 33 होगी। जलवायु स्थिति— अध्ययनकाल ग्रीष्म ऋतु 2021 (15 मार्च से 15 जून 2021) है। पर्यावरणीय आधारभूत अध्ययन काल ग्रीष्म ऋतु 2021 (15 मार्च से 15 जून 2021) वायु, ध्वनि, जल एवं मृदा के विश्लेषण परिणाम निर्धारित मानकों के भीतर पाए गये। वायु, जल, मृदा, स्वास्थ्य, वनस्पति एवं जीव प्रबंधन— लोडिंग और हॉल रोड़ पर पानी का छिडकाव किया जायेगा। ट्रकों को तारपोलिन द्वारा ढका जाएगा। ओवर लोडिंग को रोका जायेगा। सभी परिवहन साधनों के लिए वैध पी.यू.सी. होना सुनिश्चित किया जायेगा। खदान की सीमा में एवं नो माइनिंग जोन में कुल 3396 पौधे लगाए जायेंगे। वाहनों की आवाजाही और लोडिंग आदि के कारण धूल के उत्पादन पर प्रभाव के आकलन के लिए प्रति छः माह निगरानी की जायगी और प्रदूषण को कम करने के उपाय किए जायेगा, जहां एक्सपोजर अनुमेय सीमा से अधिक है, नियंत्रण, प्रबंधन उपाय या अंतिम उपाय के रूप में, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के प्रावधान को लागू किया जायेगा। लोडिंग और हॉल रोड़ पर पानी का छिड़काव किया जायेगा। डीजल इंजनों का नियमित रखरखाव। कच्ची सड़कों एवं खनन क्षेत्र के चारों ओर हरित पट्टिका का विकास किया जायेगा। क्रेशर संयत्र एवं धूल (डस्ट) उत्सर्जन बिंदु को ढंक कर

क्रमशः—06—

नियमित रख–रखाव किया जायेगा। उत्सर्जन बिंदु के चारों ओर हवा नियंत्रण हेतु टिन की चादर की दीवार का निर्माण कराया जाएगा। सतही जल की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी। सतही पानी को डायवर्ट करने के लिए गारलैंड ड्रेन का निर्माण किया जावेगा। खनिज में कोई विषैला तत्व नहीं होता है, इस प्रकार भू–जल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भू–जल की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि खनन की गहराई सीमित रहेगी। खनन कार्य के दौरान कोई अपशिष्ट जल उत्पन्न नहीं होगा। खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किए जाएंगे। खनन गतिविधि से पहले शीर्ष मिट्टी को लीज क्षेत्र में परिभाषित, परिमार्जित और संग्रहित किया जायेगा और इसका उपयोग वृक्षारोपण के उद्देश्य से किया जायेगा। वृक्षारोपण के द्वारा पट्टो की सीमा को कवर किया जावेगा। जंगली और घरेलू पशुओं के गिरने या खिसकने के खतरे को कम करने के लिए खनन खदानों में चारों ओर सें तार फेसिंग किया जावेगा। ऑन–साइट प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, और आपात कालीन स्थिति में कर्मचारियों को उपचार हेतु स्थानीय समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचाया जायेगा। ध्वनि गुणवता प्रबंधन–ध्वनि स्तर को कम करने के लिए वाहनों एवं मशीनों का उचित रख–रखाव, आइलिंग एवं ग्रीसिंग की जायेगी। सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगें। ध्वनि के प्रसार को कम करने के लिए कच्ची सड़कों एवं खनन क्षेत्र के चारों ओर हरित पट्टिका का विकास किया जायेगा। आवधिक ध्वनि परीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा। खनन उपकरण पर काम करते समय कर्मचारियों को कोविड–19 को देखते हुए कान के मफ, मास्क और सभी आवश्यक पीपीई प्रदान किए जायेगे। फ्लाई राक व भू कंपन को नियंत्रित करने हेतु पंजीकृत ब्लास्टिंग ठेकेदार से नियंत्रित वातावरण में नियंत्रित साइंटिफिक विस्फोट की पद्धति अपनाई जावेगी। हरित पट्टिका विकास–खदान कि सीमा क्षेत्र में 2727 एवं नो माइनिंग जोन पर 669 कुल 3396 स्थानीय प्रजाति के पौधें जैसे जामुन, आम, कहवा, करंज, शिशु बरगद, पीपल आदि पौधे लगाए जायेंगे एवं सुरक्षा के लिए फेंसिंग की जावेगी । समाजिक–आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव– परियोजना से समिपस्थ कृषि भूमि को कोई नुकसान नही है। परिणामतः परियोजना गतिविधि से कोई भी अन्य भूमि या मानव बस्ती प्रभावित नही होगी। परियोजना के शुरु होने के साथ लोगों द्वारा अनुमानित किए जाने वाले प्रभाव की तुलना में बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव होगा। आसपास के निवासियों को बेहतर रोजगार और अवसर के साथ रखा जावेगा, जिससे भूमिहीन और श्रमिक वर्ग के लिए अधिक आजीविका का विकल्प पैदा होगा। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य मानकों के साथ परिवहन और संचार सुविधा को क्षेत्र के आसपास विकसित किया जायेगा। जिसका स्थानीय निवासियों को इसका समुचित लाभ मिलेगा। खनन कार्य से स्थानिय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार का लाभ मिलेगा, जिससे निवासरत् लोगों का जीवनस्तर सामान्य से बेहतर होगा। आसपास के गांवों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य सुविधा और

क्रमशः–07–

शिक्षा की सुविधा जैसे विकास कार्य लोगों की आवश्यकता के अनुसार कार्ययोजना बनाई जायेगी जिसे ग्राम समिति के माध्यम से कियान्वयन किया जायेगा। आपदा प्रबंधन योजना—एक योग्य खान प्रबंधक, के प्रबंधन नियंत्रण और निर्देशन में पूरा खनन कार्य किया जायेगा। डीजीएमएस कई स्थायी आदेश, मॉडल स्थायी आदेश और परिपत्र जारी करता रहा है, जिनका पालन आपदा के मामले में खान प्रबंधन द्वारा किया जावेगा। सभी खनन कार्यों के दौरान सभी सुरक्षा सावधानियों और धातु युक्त खान विनियम 1961 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जायेगा। ओपनकॉस्ट खदान के किनारों की उचित रुप से फेंसिंग की जावेगी। कामकाज के अंतिम चरण में (एक रेलिंग जो 0.50 मी. मोटी एवं 1.5 मीटर ऊँची) पक्की दीवार के साथ घेरा जायेगा। खनन पिट से पानी बाहर निकालने के लिए उच्च क्षमता वाले पंपों का प्रावधान। बरसात के मौसम में खदान के गड्ढे में सतही जल के किसी भी प्रवाह से बचने के लिए माला नालियों और मिट्टी के बांधों की जाँच और नियमित रख—रखाव। खुदाई की जगह और बेंच की ऊचाई और चौड़ाई खनन नियमों के अनुसार उचित रुप से बनाए रखी जायेगी। उत्खनन ऊपर से नीचे की ओर किया जावेगा। किसी भी तरह के ओरवहैंड की अुनमति नही होगी। अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। भू—वैज्ञानिक दशा जैसे स्लीप, फाल्ट आदि के अस्तित्व में काम करते समय विशेष ध्यान और अपेक्षित सावधानी बरती जायेगी। श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेंचों का नियमित रखरखाव किया जावेगा। कर्मचारियों को सभी सुरक्षा उपकरण जैसे—सेफ्टी बूट, हेलमेट, गॉगल्स आदि का प्रावधान उपलब्ध कराया जाता है और उनके उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों का सतत् रुप से नियमित जांच की जावेगी। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणो में (पी.पी.ई) को कार्यस्थल पर श्रमिकों को प्रदान किया जावेगा । विद्युत उपकरणों का उचित रख—रखाव एवं रात्रि के समय प्रकाश की उचित व्यवस्था खनन स्थल पर की जावेंगी। रात्रिकालीन उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा। व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा—माईन्स नियम, 1956 के अनुसार प्रारंभिक चिकित्सा जांच और श्रमिकों की आवधिक चिकित्सा जांच आयोजित की जायेगी। सफाई सुविधाऐं उपलब्ध करायी जायेगी। सभी कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार और चिकित्सा सुविधाएँ एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय अपनाये जायेंगे। श्रमिकों को सभी आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा कक्ष और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। खदानों में उचित अग्निशमन सुविधाओं से सुसज्जित किया जायेगा। परियोजना से लाभ—निर्माण के लिए उपयोगी आर्थिक संसाधन उत्पन्न करना, रोजगार पैदा करना, अध्ययन क्षेत्र के लोगों की सामाजिक—आर्थिक स्थिति में सुधार, भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार, सामाजिक अवसंरचना में सुधार, रोजगार क्षमता में वृद्धि, खनन के दौरान और बाद में हरित आवरण में वृद्धि, अवैध खनन की रोकथाम, राजकोष में योगदान, खान पट्टा क्षेत्र के आसपास के निवासी मुख्य रूप से कृषि प्रधान हैं। रोजगार गतिविधियों के अवसर सृजित होंगे और खनन स्थायी आजीविका के स्रोत के रूप में काम करेगा। खदान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार सृजित करेंगी। अतिरिक्त, परिवहन जैसे कुछ कार्यों को

क्रमशः—08—

अनुबंध पर आउटसोर्स किया जायेगा। सभी 4 खानों के लिए सीईआर की कुल प्रस्तावित राशि रू. 1.72 लाख है। कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व के लिए प्रस्ताव– श्री आदित्य भगत– शासकीय प्राथमिक विद्यालय महुवापारा, ग्राम –कर्रा, वाटर फिल्टर की स्थापना एवं उपरोक्त वाटर फिल्टर का स्कूल प्राचार्य के नाम पर वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध 5 वर्ष के लिए – 5 X 1000/– प्रति वर्ष रू. 25,000/–, श्री द्वितेन्द्र कुमार मिश्रा– शासकीय प्राथमिक विद्यालय, ग्राम –कर्रा, वाटर फिल्टर की स्थापना एवं उपरोक्त वाटर फिल्टर का स्कूल प्राचार्य के नाम पर वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध 5 वर्ष के लिए – 5 X 1000/– प्रति वर्ष रू. 25,000/– तथा शौचालय में बहते पानी की व्यवस्था हेतु राशि रू. 10,000/– कुल राशि रू. 35,000/–, श्रीमति कांति गुप्ता– शासकीय प्राथमिक विद्यालय, ग्राम –कर्रा, विद्यालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु राशि रू. 73,000/–, श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता– शासकीय प्राथमिक विद्यालय महुवापारा,ग्राम –कर्रा, विद्यालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु राशि रू. 39,000/–, परियोजना में सीएसआर मद में कुल राशि रू. 173,000/– रखा गया है। व्यक्तिगत क्षेत्र के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना– संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत रोड मे वृक्षारोपण एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी एवं पर्यावरण की निगरानी के साथ–साथ ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि के लिए भी संयुक्त रूप से पृथक बजट बनाया जायेगा। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कलस्टर परियोजनाओं के कियाकलापों के प्रारंभ होने के साथ ही आसपास के क्षेत्र में एवं स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और बुनियादी ढांचे के विकास का अवसर प्राप्त होगा। कलस्टर परियोजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से रोजगार का सृजन होने से क्षेत्र के निवासियों को उपलब्ध संसाधनो के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह कलस्टर परियोजनाओं से राज्य के राजकोष में राजस्व मे भागीदारी के साथ–साथ राज्य के वित्तीय विकास में अपना अंशदान एवं योगदान भी देगा जो राज्य शासन के वित्तीय विकास में क्षेत्र निवासियों की भागीदारी साबित करेगा।

5. अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से कहा कि पर्यावरण जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासी आप सभी से इस परियोजना के संबंध में आपत्ति, सुझाव या जो भी विचार रखना चाहते हैं वे लिखित में या मौखिक तौर पर आपना सुझाव, विचार रख सकते हैं आप लोग के सुझाव/विचार आमंत्रित हैं।

क्रमशः—09—

तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रकिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	वक्ता का नाम	पता	कथन
1	श्री गंगा प्रसाद जनपद अध्यक्ष,	ग्राम—कर्रा, वि.खं. लुण्ड्रा	मैं बताना चाहूंगा कि इस एरिया में 2007 से अभी तक जो भी केशर खुले उनसे लोगों को काम मिला, इसके पूर्व बहुत कम केशर हुआ करते थे, आज इस क्षेत्र हमारे ग्राम—कर्रा में 20—25 केशर हैं, जिससे किसानों को चाहे छोटे हो या बड़े लोगों की नजर खुल गई कि हमे कैसे आगे बढ़ना है जैसे केशर खुलते ही ट्रेक्टर से कमाई का साधन बना, खदान से पत्थर ढुलाई कर कमाई की जाती है फिर लोगों को यह पता चला कि हमारे ग्राम पंचायत में इतनी बड़ी—बड़ी खदान होने जा रही है हमारे क्षेत्र में पत्थर खदान की लीज बन जाती है तो हमारे ग्राम पंचायत को बहुत लाभ होगा। आज के पूर्व में लगभग 10 वर्ष पूर्व छोटे—बड़े किसानों की आय का साधन खदान हुई। हमारे ग्रामवासियों को खदानों से कोई परेशानी नहीं हुई। हमारे केशर के लोग गांव के लोगों की मदद की लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं।
2	श्री नरेन्द्र पाठक	ग्राम—अमड़ी	केशर खुलने से हमारे गांव को एक फायदा और भी है जैसे आज बारिश नहीं हुई तो खदानों के गढढों में पानी है। जिससे हमारे किसानों को खेती के लिए पानी मिल रहा है, कृषि कार्य हो रहा है खेती से कमाई कर ट्रेक्टर लिये है। जिससे कृषि कार्य एवं केशर में बोल्डर ढुलाई का भी कार्य हो रहा है। अधिकारीगणों से हमारा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा से लीज देने का कष्ट करें एवं यहां की बेरोजगारी दूर करने का कष्ट करें।

क्रमशः—10—

3	श्री लक्ष्मी प्रसाद कश्यप	ग्राम—अमड़ी	आज हमारे क्षेत्र में विकास का काम हुआ है खदान में जो गढढा खोद रहे है उस गढढे के पानी से हम लोग खेती कर रहे है एवं फायदा ले रहे है वर्षा नही होने से हम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। खदान के गढढों में अगर पानी नहीं होता तो हम लोग सिंचाई कहां से कर पाते। मैं माननीय महोदय जी से निवेदन करुंगा कि अधिक से अधिक केशर को लीज को अनुमति देने की कृपा करें।
4	श्री रामेश्वर राम	ग्राम—अमड़ी	केशर खुलने से फायदा है, नुकसान नहीं है। काम धंधा अच्छे से मिल जाता है, धन्यवाद!
5	श्रीमती ममता मितानिन	ग्राम—कर्रा	पहले गांव के लोग गरीब थे। जो केशर में काम करके मेहनत करके आगे बढ गये, बारिस नहीं भी आ रहा है, फिर भी केशर के गढढे में पम्प लगा के मोटर लगा के खेती कर रहे है। केशर होने से लोगों को बाहर काम करने नहीं जाना पड रहा है।
6	श्री सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, उप सरपंच	कर्रा	हमारे यहां जो केशर खुला है, उससे हमारे क्षेत्र में एकतरफा विकास हुआ है। हमारे यहां के लोग कार्य कर ही रहें है। यू.पी., बिहार के लोग भी यहां आकर काम कर रहे है और जीवन यापन कर रहे है जो लीज बनने को लगी है। उसे हम निवेदन करुंगा कि लीज स्वीकार करें जिससे हर आदमी को लाभ मिलेगा।
7	श्री सियाराम यादव	ग्राम—चंदेश्वर पुर	खदान प्रस्तावित है। उसे स्वीकृति मिलना चाहिए।
8	श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता	ग्राम—कुदर	यह एक अच्छा पहल है। जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा जैसा कि मै देख रहा हूं कि प्राकृतिक आपदा जो घटित हुई है, यहां के 30 प्रतिशत लोग खदान में जमा पानी का उपयोग कर के अपनी खेती कर रहे हैं। मैं स्वयं भी एक केशर परिवार से हूं, मैं खदान के जमा

क्रमशः—11—

			पानी से लगभग 1.50 लाख की सरसो एवं लगभग 1.50 लाख से अधिक टमाटर की खेती में कमाऐं है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सरलीकरण में लीज प्रदान किया जायें। जिससे लोगों की बेरोजगारी दूर हो, ग्राम पंचायत का आय बढे उससे ग्राम पंचायत में विकास होती है और लोगों को सुविधाऐं भी मिलती है।
9	श्री मुकेश कुमार अग्रवाल	अंबिकापुर सरगुजा	आज जो हो रहा है, उससे ग्रामवासियों को कॉफी फायदा है। बेरोजगारी दूर होती है। जैसे अभी लोगों ने बताया कि आपदा के कारण पानी की कमी है, खदान के गड्ढे के पानी से सिंचाई कर फसल पैदा कर रहे हैं, कहीं न कहीं बहुत ज्यादा ग्रामवासियों को फायदा है। इस लिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा लीज सेन्सन हो सके उतना ज्यादा लीज सेन्सन करे और लीज की प्रकिया को सरलीकरण कर के लीज ज्यादा दी जाये जिससे ग्रामवासियों को फायदा मिल सके।
10	श्री पीताम्बर पहाडी कोरवा	ग्राम–कर्रा	हमारे ग्राम पंचायत में बहुत सारे खदान है। उससे बहुत लाभ मिलता है, उसमें से सिंचाई कर के मछली पालन भी करते है। खेती बाडी भी करते है अच्छा है, स्वीकृति मिलना चाहिए।
11	श्रीमती प्रभावती मितानिन	ग्राम–अमड़ी	यहां गांव में लीज बने हम लोग को फायदा हो खेती बाडी करे पानी से सिंचाई करें।
12	श्री बालपति मिंज	ग्राम–अमड़ी	क्रेशर से हम लोगों को काफी लाभ हो रहा है। गरीब इंसान मजदूरी कर के आपना रोजी रोटी चला रहे हैं।
13	श्रीमती संतोषी टोप्पो मितानिन	ग्राम–अमड़ी	केशर से हम लोगों को बहुत फायदा हुआ है हम लोगों को बहुत काम करने को मिला है खनन से हमे कोई आपत्ति नहीं है। इससे ग्रामवासी का लाभ मिल रहा है।

क्रमशः–12–

7 उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अनेक बार अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ, तब अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण/जवाब हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

8 परियोजना प्रस्तावक की ओर से **श्री बुद्धदेव पाण्डेय तथा परियोजना प्रस्तावक श्री द्वितेन्द्र मिश्रा** द्वारा परियोजना के सम्बंध में लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया, जो कि निम्नानुसार है :—

1. रोजगार के संबंध में बताया गया कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा तथा गांव के वाहन मालिकों के वाहन को किराये पर लेकर रोजगार दिया जायेगा।
2. वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु बताया गया कि सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करके प्रदूषण को कम किया जायेगा।
3. पेय जल तथा शौचालय हेतु जल व्यवस्था के संबंध में बताया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्पोरेट इंवायरमेंट (सी.ई.आर.) मद के अनुसार रू. 1,73,000/—का रैनवाटर हार्वेस्टिंग परियोजना लगाई जायेगा। इसके अतिरिक्त ग्राम समिति द्वारा समय समय पर जो निर्णय लिया जायेगी तथा जिम्मेदारी सौंपी जायेगी उसका पालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा मौखिक तथा लिखित जवाब हिन्दी/अंग्रेजी में दिये गये **(परिशिष्ट—01)** तदोपरांत अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा ग्रामवासियों के शांतिपूर्वक पर्यावरण जनसुनवाई कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया गया, ग्रामवासियों के द्वारा टीका टिप्पणी सुझाव प्रस्तुत किया गया। सड़क, पानी की इस गांव में समस्या है, इस पर भी पहल किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक के द्वारा भी सभी बातों को बताया गया, आने वाले दिनो में भी ग्रामवासियों की जो भी समस्या रहेगा, उसका निराकरण प्रशासन के द्वारा और परियोजना प्रस्तावक के माध्यम से भी उसका हल करने का प्रयास किया जायेगा, आप सभी लोगों ने पर्यावरण जन सुनवाई में सहयोग दिया, भाग लिया इसके लिए बहुत—बहुत धन्यवाद, धन्यवाद ज्ञापन के साथ लगभग अपरान्ह **2:00** बजे अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोकसुनवाई की कार्यवाही प्रकिया का समापन की घोषणा की गई।

क्रमशः—13—

9. लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई, जो कि निरंक है। लोक सुनवाई के दौरान उक्तानुसार **13** व्यक्तियों के द्वारा मौखिक विचार व्यक्त किये गये। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान लगभग **100** व्यक्ति उपस्थित थे जिनमें से उपस्थिति पत्रक पर कुल **83** व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं **(परिशिष्ट–02)**। आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी की गई।

सलंग्न–उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकरी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)